रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05012024-251172
SG-DL-E-05012024-251172

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 368
No. 4] DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945 [N. C. T. D. No. 368

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

फा. सं. 47(188)/सीएफ/मुख्या0/98/स्था0/पार्ट–1/7106-13.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इससे प्रभावित होने वाली समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **वन रेंजर, समूह ''ख'' (अराजपत्रित, अलिपिकीय)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को वन एवं वन्यजीव विभाग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वन रेंजर, समूह 'ख' (अराजपत्रित, अलिपिकीय) पद भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि.**—भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामले नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुच्छेदकी क्रम संख्या 6 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—वह व्यक्ति,

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ii) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा की है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकते हैं।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां माननीय उपराज्यपाल (प्रशासक) का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकते हैं।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रेंजर के पद हेतु भर्ती नियमावली

<table>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td>:</td><td>वन रेंजर</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td>:</td><td>09</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td>:</td><td>सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अलिपिकीय</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर</td><td>:</td><td>स्तर–6 (ग्रेड पे रुपये 4200/–)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है</td><td>:</td><td>चयन</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td>:</td><td>30 वर्ष से अधिक नहीं</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ</td><td>:</td><td>1. शैक्षिक योग्यताएं

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक :

कृषि/वनस्पति विज्ञान/रसायन विज्ञान/ पर्यावरणीय विज्ञान/ वानिकी/ भू–विज्ञान/मत्स्य पालन/बागवानी/ गणित/ भौतिकी/ सांख्यिकी/ पशु चिकित्सा विज्ञान/ जीव विज्ञान

अथवा

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में बीटेक/बीई :

कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/कृषि/रासायनिक/सिविल/ कम्प्यूटर/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल

2. शारीरिक मापदंड :

2 (क) उम्मीदवारों के लिये ऊंचाई तथा छाती माप हेतु न्यूनतम मापदंड निम्नानुसार होंगे :
<table>
<tr><td></td><td>ऊंचाई (सें0मी0)</td><td colspan="2">छाती का माप (सें0मी0)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सामान्य</td><td>फैलाव</td></tr>
<tr><td>पुरुष</td><td>163</td><td>84</td><td>05</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>150</td><td>79</td><td>05</td></tr>
</table>
निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मापदंड को आसामी, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊंनी लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली सिक्किमी तथा अरूणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पिति, मेघालय जैसी अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अनुमति दी जा सकती है :</td></tr>
</table>

			पुरुष 152सेंमी0 महिला 145सेंमी0 2 (ख) पुरुष/महिला उम्मीदवारोंको क्रमशःचार घंटेके भीतर पैदल चलकर 25/16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। **3. स्वास्थ्य प्रमाण पत्रः—** चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था की जायेगी। चिकित्सा बोर्ड स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा और यह भी प्रमाणित करेगा कि उम्मीदवार वन एव वनजीव विभाग में बाहरी श्रमसाध्य कार्य करने के लिये स्वस्थ है। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/डीएसएसएसबी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप—2:** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी/डीएसएसएसबी के अभिमत से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/डीएसएसएसबी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए निर्धारित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा। विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/समावेशन द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः** उप—वन रेंजर के रूप में 15 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स (रुपये 21,700—69,100/—) के स्तर—3 में उप—वन रेंजर में से। **टीप —1:** पदधारी कोवन रेंजर के पद के लिये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वन प्रशिक्षण कॉलेज/संस्थान से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित तथा प्रायोजित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। **टीप—2** : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रप्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ अर्ध—सरकारी या स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन के अधिकारी/कर्मचारीः—

			क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (रुपये 29,200–92,300/–) के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में छह वर्षों की सेवा के भीतर अथवा मूल संवर्ग या विभाग में इसके समकक्ष। तथा (ख) वन रेंजर का 18 माह का निर्धारित 'अंतःकालीन प्रशिक्षण' पूर्ण होने सहित कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये यथानिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले। **टीप 1**: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप 3** : केवल केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही समावेशन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय होंगे।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**पदोन्नतिहेतु विभागीय पदोन्नति समितिः** क. प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं)–**अध्यक्ष** ख. पीसीसीएफ/विभागाध्यक्ष, वन विभाग–**सदस्य** ग. मुख्य वन संरक्षक –**सदस्य** घ. विशेष सचिव/सचिव, शहरी विकास–**सदस्य** **स्थायीकरण हेतु विभागीय स्थायीकरण समितिः** क. प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं)–**अध्यक्ष** ख. पीसीसीएफ/विभागाध्यक्ष, वन विभाग–**सदस्य** ग. मुख्य वन संरक्षक –**सदस्य** घ. विशेष सचिव/सचिव, शहरी विकास–**सदस्य** **टीप** : यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो अधिसूचित स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2024

F. No. 47(188)/CF/HQ/98/ESTT. /PART I/7106-13.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, read with Govt. of India , Ministry of Home Affairs Notification

No. 27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and in suppression of all previous notifications to this effect, the Lt. Governor, Delhi hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Forest Ranger, Group B post (Non-gazetted , non-ministerial) in the Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi, namely:

1. **Short Title and commencement:**

(i) These Rules may be called the Govt. of National Capital Territory of Delhi Forest Ranger, Group B (Non-gazetted, non-ministerial) post in the Department of Forests & Wildlife,Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force from the date of their publications in the Official Gazette.

2. **No. of Posts, Classification and Level in Pay Matrix.**

The no. of said post their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, and other Qualifications etc.:-**

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified at serial nos. 6 to 13 paras of the Schedule annexed to the Rules.

4. **Disqualification :-**

(i) No person, who has entered into or contracted a married with a person having a spouse, or

(ii) Who, having a spouse leaving, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for this said post:

Provided that the Lt. Governor Delhi may, if satisfied that such married is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax**

Where the Hon'ble Lt. Governor (Administrator), Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons in consultation with UPSC.

6. **Saving:-**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules for the post of Forest Ranger in the Department of Forests and Wildlife

1.	Name of Post	Forest Ranger
2.	No. of Posts	9
3.	Classification	GCS Group-B Non-Gazetted, Non- Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level - 6 (Grade Pay Rs. 4200)
5	Whether Selection or Non-Selection	Selection
6	Age limit for direct Recruits	Not exceeding 30 years
7	Educational and other qualification required for direct recruitment	**1. Educational Qualifications** Graduation with any one of the following subjects: Agriculture/ Botany/ Chemistry/ Environmental Science/ Forestry/ Geology/ Fisheries/ Horticulture/ Mathematics/ Physics/ Statistics/ Veterinary Science/ Zoology OR B. Tech/ B.E in any one of the following subjects: Computer Applications/Computer Science/ Agriculture / Chemical / Civil / Computer / Electrical / Electronics / Mechanical. **2. Physical Standards** 2(a) The minimum standard for height and chest girth for candidates

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
shall be as follows:
<table>
<tr><td></td><td>Height (cm)</td><td colspan="2">Chest Girth(cm)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Normal</td><td>Expansion</td></tr>
<tr><td>Male</td><td>163</td><td>84</td><td>05</td></tr>
<tr><td>Female</td><td>150</td><td>79</td><td>05</td></tr>
</table>
The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and races such as Assamese, Bhutanese, Garhwali, Gorkhas, Kumaonis Ladakhi, Mizo, Naga, Nepalese Sikkimese and those from Arunachal Pradesh, Lahaul & Spiti, Meghalaya:
<table>
<tr><td>Male</td><td>152 cm</td></tr>
<tr><td>Female</td><td>145 cm</td></tr>
</table>
2(b) Male/ Female Candidates must pass a physical test covering a distance of 25/ 16 Kms within four hours on foot, respectively.

3. Health Certificate:

The medical examination of the candidate by a Medical Board shall be arranged. The Medical Board shall issue a health certificate and also certify that the candidate is FIT to undertake strenuous outdoor work in the Department of Forests and Wildlife.

Note 1: Qualification are Relaxable at the discretion of the Competent Authority/ DELHI SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is Relaxable at the discretion of the Competent Authority/ DELHI SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Schedule Caste and Schedule Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority/ DELHI SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotion</td>
<td>Age: No

Educational Qualifications: No but must possess the educational qualification of having passed 12^{th} standard as prescribed for Forest Guard</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Period of probation</td>
<td>2 years for direct recruits and promotes</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer. Percentage of vacancies to be filled by various methods</td>
<td>75% by Direct Recruitment

25% by promotion Failing which by Deputation (ISTC)/ Absorption</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made</td>
<td>Promotion

From amongst Deputy Forest Rangers in Level 3 in Pay Matrix (Rs. 21,700-69,100) with fifteen years' regular service as Deputy Forest Ranger.</td>
</tr>
</table>

		Note 1: The incumbent must have successfully passed the mandatory training as prescribed and sponsored by Appointing Authority, for the post of Forest Ranger at any Forest Training College/ Institute recognized by Govt. of India. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation** (including short term contract) Officers/official of the Central/State/UT Administration/ Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research Institutions/ Semi-Government or Autonomous Bodies/ Statutory Organizations: (A) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre/ department or (ii) within 6 years' of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs. 29200-92300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (B) Possession the educational qualification as prescribed for Direct Recruits under column (7) with completion of 18 months prescribed 'in-service training' of Forest Ranger; and two years of experience in the relevant field. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration of appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation including period of deputation (ISTC) in another ex ·cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization of the Department of Central/State Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of the application. **Note 3:** Only officers of Central/ State / UTS will be eligible for consideration for appointment on Absorption basis.
12	If DPC exist, what is its composition	**DPC for Promotion**: a. Principle Secretary/ Secretary (Services) – **Chairperson** b. PCCF/ HOD. Forest Department- **Member** c. Chief Conservator of Forests - **Member**

		d. Spl. Secretary/ Secretary, UD - **Member** **DCC for Confirmation:** a. Principle Secretary/Secretary (Services)–**Chairperson** b. PCCF/ HOD. Forest Department- **Member** c. Chief Conservator of Forests - **Member** d. Spl. Secretary/ Secretary, UD - **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee for notified considering confirmation shall act as the Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of Hon'ble

Lt. Governor of NCT of Delhi,

A. K. SINGH, Pr. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.05 22:19:55 +05'30'